संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

E-Mail Id - dme12001@yahoo.com

क्रमांक /DME/2/बजट/ 2018 दिनांक, भोपाल /दिसम्बर/2018

प्रति,

अधिष्ठाता
गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय
ग्वालियर

विषय :– वर्ष 2017–18 में उपकरणों एवं संयत्रों के क्रय के संबंध में।

संदर्भ :– आपका स्मरण पत्र दिनांक 4829/क्रय/2017 दिनांक 11.12.2017

–00–

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत आपके द्वारा यह लेख है कि उपलब्ध कराये गये उपकरणों की सूची में से 95% उपकरणों की दरे मेडिकल कार्पोरेशन भोपाल में उपलब्ध नही है।

उपरोक्त संदर्भित पत्र में यह भी लेख है किया है कि मुख्यालय द्वारा जारी किये गये निर्देश "उपकरणों को नियमानुसार क्रय किया जाने के निर्देश दिये है। आपके द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन से यह प्रतीत होता है कि उपकरणों के क्रय करने को गंभीरता से नही लिया जा रहा है क्योंकि आपके पत्र अनुसार 259 आईटमं वर्ष 2017–18 में स्वीकृत किये गये है जिसमे से मात्र 38 उपकरण ही MPPHSCL (मध्यप्रदेश पब्लिक हैल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेट) के वित्तीय सीमा में आते है । **कृपया अवगत है कि शेष सभी उपकरणों की यूनिट कास्ट 1.00 लाख से कम होने से राज्य शासन के आदेश क्रमांक/एफ 4–6/2017/55–2 दिनांक 25 मार्च 2017 के तहत आपको संपूर्ण अधिकार प्रदत्त है।**

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्य शासन/भारत शासन के संस्थान **Gem को भी मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 4–5/2017/55–2 दिनांक 07.12.2017 द्वारा उपकरणों के क्रय हेतु अधिकृत किया गया** व उनकी सूची में भी काफी उपकरण वर्तमान में उपलब्ध है।

आपके पत्र से यह प्रतीत होता है कि शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप समय–सीमा में कार्यवाही न करते हुये आपके द्वारा अनावश्यक मार्गदर्शन चाहे जा रहे है जो उचित नही है।

1.00 लाख से अधिक यूनिट कास्ट के उपकरण MPPHSCL (मध्यप्रदेश पब्लिक हैल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेट) या HLL में उपलब्ध नही है तो उनकी सूची से संबंधित संस्था के साथ–साथ संचालनालय को भी अवगत करावे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपकरणो का क्रय समय–सीमा में सुनिश्चित कर उपलब्ध कराये गये आवंटन का सदुपयोग सुनिश्चित करें। राशि व्यपगत होने पर उत्तदायित्व निर्धारण किया जायेगा।

संलग्न :– यथोक्त

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

276 Letter

पृ0कमांक 05 / DME / 2 / बजट / 2018 दिनांक, भोपाल 02 / दिसम्बर / 2018
प्रतिलिपि :—

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. राजस्व आयुक्त एवं अध्यक्ष, स्वशासी संस्था भोपाल / इन्दौर / जबलपुर / ग्वालियर / रीवा / सागर की ओर सूचनार्थ।
3. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल / इन्दौर / जबलपुर / ग्वालियर / रीवा / सागर की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक सह संयुक्त संचालक चिकित्सालय भोपाल / इन्दौर / जबलपुर / ग्वालियर / रीवा / सागर की ओर सूचनार्थ।
5. संयुक्त संचालक (वित्त) चिकित्सा शिक्षा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

1669
30/3/17

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 25 मार्च, 2017

क्रमांक: एफ 4–6/2017/55–2 :: राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों एवं मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध अस्पतालों में चिकित्सकीय, उपकरण क्रय, उपकरणों का संधारण, साफ–सफाई, सुरक्षा, धुलाई व्यवस्था इत्यादि जैसी *Non Core* सेवाओं की व्यवस्था के संबंध में निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते है :–

(*i*) राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों एवं सम्बद्ध अस्पतालों के उपकमों में उपकरणों के संधारण, साफ–सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, धुलाई व्यवस्था इत्यादि जैसे *Non Core* कार्यों को संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा द्वारा 100 प्रतिशत भारत सरकार के विशेषज्ञ केन्द्रीय उपकमों को आवंटित किये जाये। 100 प्रतिशत केन्द्रीय उपकमों की सूची प्रशासकीय विभाग द्वारा समय–समय पर जारी की जा सकेगी।

(*ii*) राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों एवं सम्बद्ध अस्पतालों द्वारा चिकित्सकीय उपकरण क्रय करने के लिये निम्नानुसार यूनिट कास्ट की लागत सीमा में उपकरण क्रय आदेश सक्षम स्वीकृति पश्चात दिये जा सकेगे :–

स.क.	वित्तीय सीमा	कार्य आवंटन
01	02	03
1	रूपये 1,00,000/– तक के यूनिट कॉस्ट के उपकरण क्रय करने हेतु	भण्डार क्रय नियमानुसार कार्यादेश दिया जा सकेगा।
2.	रूपये 1,00,000/– से 20,00,000/– तक के यूनिट कॉस्ट के उपकरण क्रय करने हेतु	*MPPHSCL* (मध्यप्रदेश पब्लिक हैल्थ सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड) के माध्यम से
3.	रूपये 20,00,000/– से अधिक यूनिट कॉस्ट के उपकरण क्रय करने हेतु	भारत सरकार के 100 प्रतिशत विशेषज्ञ केन्द्रीय उपकमों के माध्यम से। ऐसे 100 प्रतिशत भारत सरकार के विशेषज्ञ केन्द्रीय उपकमों की सूची समय–समय पर चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी की जायेगी।

भविष्य में उपरोक्त उल्लेखित यूनिट कास्ट की लागत सीमाओं में परिवर्तन

27/3/17

ANIL VERMA PA To DS (order copy)

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से किया जा सकेगा। 100 प्रतिशत भारत सरकार के विशेषज्ञ केन्द्रीय उपक्रमों की सूची समय–समय पर चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी की जा सकेगी।

(iii) मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध किसी अस्पताल द्वारा कोई प्रयोगशाला, विशेषज्ञ *Facility* स्थापित की जाती है तो ऐसी प्रयोगशाला स्थापित करने का कार्य *Turnkey* रूप से 100 प्रतिशत भारत सरकार के केन्द्रीय उपक्रम के माध्यम से कराया जाये। 100 प्रतिशत भारत सरकार के विशेषज्ञ केन्द्रीय उपक्रमों की सूची समय–समय पर चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी की जा सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
25/3/2017
(बी.आर.सुनहरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक : एफ 4–8/2017/55–2 भोपाल, दिनॉक 25 मार्च, 2017

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. आयुक्त, राजस्व संभाग, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/ सागर, मध्यप्रदेश
3. प्रबन्ध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हैल्थ सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड, तिलहन संघ, भोपाल
4. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/ रीवा/सागर, मध्यप्रदेश
5. प्राचार्य, दन्त चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश
6. प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय, इन्दौर मध्यप्रदेश
7. संचालक, मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर, मध्यप्रदेश
8. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/इन्दौर/ ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/सागर, मध्यप्रदेश
9. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद भोपाल
11. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश महाकौशल, नर्सिंग कौंसिल, गौवन्तिका परिसर, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

25/3/2017
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

ANIL VERMA P A To DS

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांकः एफ 4–5/2017/55–2 भोपाल, दिनांक 07/12/2017

प्रति,

आयुक्त,
चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल।

विषयः–चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों तथा संबद्ध चिकित्सालयों में चिकित्सकीय उपकरणों के क्रय आदेश दिनांक 25 मार्च 2017 के संबंध में।

संदर्भः–राज्य शासन का आदेश क्रमांक एफ 4–8/2017/55–2, दिनांक 25 मार्च, 2017 तथा राज्य शासन का आदेश क्रमांक एफ 4–8/2017/55–2, दिनांक 03 अप्रैल, 2017

---00---

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों व संबद्ध अस्पतालों मे चिकित्सकीय उपकरण क्रय करने हेतु पूर्व में संदर्भित आदेश से भारत शासन के (4) संस्थाओं को अधिकृत किया था। भारत शासन की उक्त 4 संस्थाओं के अतिरिक्त संदर्भित आदेश की कण्डिका (i) अनुसार भारत शासन के संस्थान GEM को भी उक्त सूची में समाहित किया जाता है। आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

2/ यह आदेश वित्त विभाग की टीप यू0ओ0 क0 881/आर/1150/136/17 दिनांक 05.12.2017 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

7/12/17

(शर्मिला ठाकुर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ. क्र. एफ 4–5/2017/55–2

प्रतिलिपिः–

भोपाल, दिनांक 07/12/2017

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर उनकी उल्लेखित टीप दिनांक 05.12.2017 के संदर्भ में।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश , भोपाल ।
4. आयुक्त, राज्य संभाग, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/सागर, मध्यप्रदेश।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पब्लिक हैल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तिलहन संघ, भोपाल।
6. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/सागर , मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, दन्त चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश।
8. प्राचार्य, नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश।
9. संचालक, मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
10. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल/इन्दौर/ ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/सागर, मध्यप्रदेश।
11. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
12. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद, भोपाल।
13. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश महाकौशल, नर्सिंग कौंसिल, गौवंतिका परिसर, भोपाल की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
14. गार्ड फाईल।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग